

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या: ४८५ सा०प्रशा० / 6-59 / 2013

दिनांक ७ अक्टूबर, 2013

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,  
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय—विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों/निदेशालय में अभिलेखों के रख—रखाव, अभिलेखन करने एवं विनिष्टिकरण करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—2223 / xxxi(13)G / 2013-37(सा०) / 2013 दिनांक 15-07-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों/निदेशालय में अभिलेखों के रख—रखाव, अभिलेखन करने एवं विनिष्टिकरण करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23-04-2005 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

संदर्भित शासनादेश की प्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आव्याहा इस कार्यालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न—यथोक्त।

२  
(चन्द्रशेखर भट्ट)  
अपर परिवहन आयुक्त,  
२ उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

सुरन्द्र सिंह रावत,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून:

दिनांक १५ जुलाई, 2013

विषय:-

विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों/निदेशालय में अभिलेखों के रख-रखाव, अभिलेखन करने एवं विनिष्टिकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय विभागों के प्रकरणों की सुनवाई के समय यह तथ्य संज्ञान में आया है कि लोक प्राधिकारियों के स्तर पर अभिलेखों के रख-रखाव, अभिलेखन करने एवं विनिष्टिकरण नियमावलियाँ नहीं बनायी गयी हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पत्रावलियों में पूर्व में व्यवहृत प्रकरणों एवं पत्रजातों के सम्बन्ध में अस्पष्टता की स्थिति बन जाती है।


2— उपरोक्त स्थिति से बचने हेतु शासन द्वारा सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव, निर्दान करने की प्रक्रिया एवं उन विषयों की सूची और उन्हें रखने को समयावधि का विवरण सहित, जो सामान्यतया सभी सरकारी कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं, के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:—244 / XXXI(13)G / 2005 दिनांक 23.04.2005 द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश के अनुरूप विभागीय नियमावलियाँ नहीं बनायी गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय अभिलेखों का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित न होने के साथ ही कार्यालय का महत्वपूर्ण समय तो नष्ट तो होता ही है, कभी-कभी आम-जन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को अभिलेख/सूचना प्राप्त करने कठिनाई होती है।

अतः इस सन्दर्भ में उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर सम्प्रेषित करते हुय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुरूप कार्यवाही करते हुये अपने विभाग की पृथक से नियमावली तैयार करवायें ताकि कार्यालय अभिलेखों/सूचनाओं का महत्तम उपयोग सुनिश्चित होने के साथ ही किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचा जा सके।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय,


(सुरन्द्र सिंह रावत)  
सचिव।



संख्या.....

५००५८५०

११८१८  
११८१८



03/08/2013  
05/2013

संख्या ५५१

कृपया अपर परिवहन आयुक्त  
उत्तराखण्ड

540

31/13

संख्या 244/xxx/03/6/2005

प्रेषक

डॉ आर०एस०टोलिया  
मुख्य सचिव  
उत्तरांचल शासन  
देहरादून।

सेवा में

1. समर्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल
2. समर्त कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल

प्रशासनिक सुधार विभाग

दिनांक: देहरादून 25 अप्रैल, 2005

विषय:- विभागाध्यक्षों/निदेशालयों एवं कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालय में अभिलेखों को अभिलेखन (Recording) करने एवं उन्हें नष्ट करने के साथ साथ ऐसी निर्धारित अवधि का विवरण।

महोदय

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सैनिक काल्याण निदेशालय के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख-रखाव उनके निर्दान आदि के साथ साथ में कठिपय कमिया पायी गयी। यह भी पाया गया कि कार्मिकों को अभिलेखों के अभिलेखन एवं उनके रख-रखाव के बारे में रामुचित जानकारी नहीं है। यही रिप्टिंग अन्य कार्यालयों में भी हो सकती है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव उनके निर्दान के बारे में पूरी प्रक्रिया एवं उन विषयों की सूची और उन्हें रखने को समयावधि का विवरण सहित जो सामान्यतया सभी कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं, आपके पथ प्रदर्शनार्थ भेजी जाती है।

क- निष्ठोप पत्रावलियों को अभिलिखित "रिकार्डिंग" करने से पूर्व की कार्रवाई:-

1. अभिलिखित करने से पूर्व यह देख लिया जाय है कि पत्रावली में कोई कार्रवाई शेष तो नहीं है और उसमें सभी कागजात पूरे हैं।
2. पहले पुराने कवर्स को बदल दिया जाय और पत्रावली संख्या और विषय सौटे अक्षरों में स्पष्ट लिखा जाय।
3. रंगीन चिटों एवं अनावश्यक कागजात को हटा दिया जाय।
4. पत्रावली के पत्राचार कवर्स में रखे सभी पत्रों को आरोही क्रम में क्रमांकित कर लिया जाय। तथा महत्पूर्ण पत्रावलियों में प्रत्येक सूचि पर पृष्ठ संख्या भी आरोही क्रम में छाल दी जाय।
5. पत्रावली के कवर्स पर रुल क्रमांकों एवं पुष्ट मंदियों का उल्लेख कर दिया जाय।

ख- अभिलेखन की कार्रवाई :-

1. यदि पत्रावली के टिप्पणी और पत्राचार के दो अलग-अलग फलक हैं तो अभिलेखन वर्गी कार्रवाई पत्राचार फलक से इन प्रकार दर्शायी जाय।

वर्ष— माह तक रखी जाय

2. जो पत्रावलियां स्थायी प्रकृति की हैं उनमें वर्ष माह के स्थान पर स्थायी शब्द का उल्लेख किया जाय।
3. पत्रावलियों को विषयवार, वर्षवार एवं कमवार व्यवस्थित करके बीस-बीस के बंडलों में रखा जाय।
4. यदि कार्यालय में अभिलेख कक्ष है तो पत्रावलियों को बीजक के माध्यम से अभिलेख कक्ष भेजा जाय। बीजक को निम्न प्रारूप में बनाया जा सकता है।

पत्रावली संख्या पत्रावली के कार्यसंग की संख्या विषय रखे जाने की अवधि

ग— अभिलेखन के पश्चात् की कार्रवाई :-

1. नभी से पत्रावलियों को नष्ट होने से बचाने के लिये ऐक्स दिवार और सिलिंग से एक फिट हटाकर लगाये जाय।
2. धूल से बचाने के लिये समय-समय पर वैक्यूम वलीनर्स से धूल साफ़ करा ली जाय।
3. कीड़े मकोलों चूहों आदि से पत्रावली को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये कीटनाशकों का समय-समय पर छिपकाव किया जाय एवं ऐक्स के नीचे नैथलीन ब्रिक्स को रख दिया जाय। सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिये ऐक्स को ऐसे स्थान पर रखा जाय जहां पर हवा शोशनी तो आती हो लेकिन सूर्य की सीधी किरणें पत्रावलियों पर न पड़ती हों।

घ— पत्रावलियों को नष्ट करने से पूर्व की कार्रवाई (रिव्यु):

1. जिन पत्रावलियों को अभिलिखित कर दिया गया है और उनके रखे जाने की अवधि निर्धारित कर दी गई है उन्हें उस निर्धारित अवधि के पश्चात् नष्ट करने से पूर्व एक बार उनका रिव्यू कर लिया जाय। रिव्यू में जिन पत्रावलियों की कार्यालय/विभाग के लिये भविष्य में आवश्यकता समझी जाय उन्हें फिर से अभिलिखित करके भविष्य के लिये रख दिया जाय। शेष पत्रावलियों को एक वीडिंग रजिस्टर में उनकी संख्या व विषय नोट करके और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके नष्ट कर दिया जाय।
2. गोपनीय प्रकृति के अभिलेखों को जलाकर एवं शेष को फाड़कर नष्ट किया जाय। स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को अलग से लॉक एण्ड की (Lock and key) में रखा जाय।

सामान्य पत्र व्यवहार विधानसभा प्रश्न, आडिट, स्थापना/अधिष्ठान, लेखा, आय-व्ययक सम्बन्धी कुछ ऐसे विषय हैं जो सामान्यतया सभी कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं। उनको चिन्हित करके उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को रखने के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार की गई जो आपके प्रणोगार्थ रांजन करके भेजी जा रही है। (अनुसूची-1)

इसके अलावा बहुत से ऐसे विषय हैं जो विभाग विशेष में ही व्यवहृत होते हैं। उनके निर्वाचन आदि के बारे में सम्बन्धित विभाग के मैनुअल्स में व्यावरण रहती है अतः उनका अभिलेखन मैनुअल में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत किया जाय। जिन विभागों के मैनुअल्स

## अनुसूची—।

विभागाध्यक्षों / निदेशालयों एवं कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों में अधिकारियों के अभिलेखों (Recording) करने एवं नष्ट करने हेतु निर्धारित अवधि का विवरण

क्रम सं०	अभिलेखों का नाम / विषय	समय / अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय / नष्ट किया जाय	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4

### क—सामान्य पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावलियाँ

1. उपरिथित पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 161) एक वर्ष
2. आकर्षिक अवकाश पंजी (एम.जी.ओ. 1981 संस्करण, पैरा 1088) समाप्त होने के एक वर्ष बाद
3. आडिट महालेखाकार / विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा वी गई आडिट पत्रावलियाँ आपत्तियों के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक।
4. आय-व्ययक अनुमान की पत्रालियाँ दस वर्ष।
5. सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कभी निष्ठाधीय वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियाँ अन्तिम निर्णय व वसूली, राइट आफ के पश्चात तीन वर्ष
6. डेड स्टाक, क्षय शील / उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तिकारों आदि के पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावलियाँ स्टाक बुक में प्रविष्ट, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष
7. निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र-व्यवहार की पत्रावलियाँ उठाये गये बिन्दुओं, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक। स्थायी रूप से।
8. अधिकारी के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारी के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पार्वस) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियाँ आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष तीन वर्ष तक।
9. प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पत्रावलियाँ
10. लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग-पत्र (इन्डेन्ट) (स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 37 तथा 39) क्रमशः प्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174

11. दौरों के कार्यक्रम साथा दूआर भायरी, यदि कोई निर्धारित हो।
- एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद, जो भी पहले हो, किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से संबंध हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद।
12. विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट वर्षावार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जायेगी। शेष प्रतियां पौँच वर्ष तक।
13. वार्षिक प्रतिवेदन के संदर्भ में हेतु एकनित/प्राप्त सामग्रियों तथा उनकी पत्रावली प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष।
14. सम्मेलनों/गोष्ठियों/मीटिंगों का कार्यवृत्त एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाये शेष तीन वर्ष तक।
15. विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के प्रश्नों की पत्रावलियां पौँच वर्ष, किन्तु आश्वासन समितियों को दिये आश्वासनों की पूर्ति के पौँच वर्ष बाद।
16. नियमावलियों, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया, घट्टति तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन संबंधी पत्रावलियां स्थायी रूप से।
17. कार्य के मानव/र्टेन्डर/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश स्थायी रूप से।
18. वीडिंग शेड्यूल/अभिलेख नियम/सूची पुनर्संशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक स्थायी रूप से
19. शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाईलों पच्चीस वर्ष तक
20. प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 19) रजिस्टर में दर्ज अस्थायी रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिय जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद।
21. पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20/21, 26 आदि) स्थायी रूप से
22. रथायी पत्रावलियों का रजिस्टर समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
23. पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं. 51)

चालान बही (हन्दाइरा) (प्रान्तीय फार्म नं.61)

आवधिक/सामयिक विवरण—पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आण पीरियाडिकल रिपोर्ट्स एण्ड रिटर्न्स)

26. सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 52)

27. शिक्षाती पत्रों की पंजी (एमओजीओ वर्ष 1981 संस्करण का ऐरा 772 (7))

28. सरकारी गजट

29. सरकारी वाहनों की लाग-बुक तथा रनिंग रजिस्टर

30. समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर ऑफ काम्लीडेड रजिस्टर्स)

31. अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर (लिस्ट ऑफ पॉडिंग रिफरेन्सेज)

32. मार्ड फाइल्स

समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक

समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक

समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष।

दर्ज पत्रों के अन्तिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर में उतार लेने के बाद।

डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जाज के कार्यालयों को छोड़कर, जहाँ गजट स्थायी रूप से रखा जाता है, शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक।

वाहन के निष्योज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात् एक वर्ष बाद तक, यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो।

किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियों को दूसरे रजिस्टर में उतार लिये जाने के तीन वर्ष बाद।

रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनिस्तारित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद।

रथायी रूप से

#### ख— स्थापना / अधिकारान सामन्धी पत्रावलियों एवं रजिस्टर

1. कर्मचारियों/अधिकारियों की निझी पत्रावलियों (पर्सनल पत्रावलियों)

पेशन की अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् पाँच वर्ष तक।

निझी पत्रावलियों के व्यक्ति व स्थानान्तरण व साथ उसी प्रका एक कार्यालय दूसरे कार्यालय

स्थानान्तरित की  
जानी चाहिये, जैसे  
सेवा पुस्तिकार्य  
स्थानान्तरित गोपनीय  
आख्याये आदि  
जाती हैं।

2. अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मॉगे गये प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन-पत्रों की पत्रावलियों
3. वाहन, साइकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अशिखों से सम्बन्धित पत्रावलियों
4. इनवैलिड पेंशन स्वीकृति की मामलों की पत्रावलियों
5. कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन पर नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियों)
6. ग्रेडेशन सूची
7. सेवा पुस्तिकार्यों/सेवा नामावलियों
8. शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर आफ ओथ आफ एलिजियेन्स) राजाज्ञा संख्या— 3105, दो-बी-163-52, दिनोंक 20-1-64 तथा संख्या—1241/ दो-बी-163/64, दिनोंक 15-5-64)
9. स्थापना आदेश पंजी (इस्टैब्लिशमेन्ट आर्डर बुक) राजाज्ञा संख्या—ए-1792/ दस-तीन-1929, दिनोंक 11-4-30
10. स्थापना का घार्षिक संख्यात्मक विवरण (राजाज्ञा संख्या—ए-5641/ दस-15/ 7/62, दिनोंक 24-2-65 द्वारा निर्धारित)
11. गोपनीय चरित्र पंजिकार्यों/ गोपनीय आख्याये।

पौंच वर्ष (चुने गये/नियुक्ति किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों को छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)।

अग्रिम की राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो उसके भुगतान के पश्चात् एक वर्ष।

पच्चीस वर्ष तक।

पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पौंच वर्ष बाद।

स्थायी रूप से।

वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136—ए के अनुसार।

नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियां नकल करके उन्हें सत्यापित करा लिये जाने के बाद।

स्थायी रूप से

स्थायी रूप से

सेवा निवृत्ति/पद त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद।

12. सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती बांड।  
(वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड पांच, भाग—एक का पैरा 69-73)
13. पंजी जमानत (वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड पांच, भाग—एक का पैरा 69-73)
14. पेशन, ग्रेचुटी, पारिवारिक पेशन आदि की पत्रावली
15. पारिश्रमिक/पारितोषिक स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावलियाँ
16. राजकीय कर्मचारियों के पूर्व-चरित्र का सत्यापन (विरिपिकेशन आफ कैरेक्टर एन्ड ऐन्सीसीडेन्स)
17. लिभिन पदों के सूजन सम्बन्धी पत्र व्यवहार की पत्रावली
18. नयी मांगों की अनुसूची सम्बन्धी पत्रावली
19. वार्षिक वेतन बृद्धि नियंत्रण पंजी
20. पेशन फन्ड्रोल रजिस्टर।  
(राजाज्ञा संख्या—जी) 2-3994 / दस- 927- 1958 दिनांक 10.2.1964 में निर्धारित)
21. अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 1284 / दो—बी-99 / 60, दिनांक 11. 4.1961 में निर्धारित)
22. प्रत्यावेदन/अपील नियंत्रण पंजी (राजाज्ञा संख्या 7-2-1975-नियुक्ति (3), दिनांक

सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दरा वर्ष बाद।

- (1) मूल पत्र व्यवहार 10 वर्ष बाद
- (2) वार्षिक सत्यापन का पत्र—व्यवहार, सत्यापन के एक वर्ष बाद  
पैरा 73 वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड पांच, भाग एक। पद छोड़ने के 6 माह बाद या नये रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नकल कर लेने के बाद।

सेवा निवृति पर स्वीकृति व भुगतान के पश्चात् दस वर्ष।

भुगतान, आडिट आपत्ति के अंतिम निस्तारण तथा गोपनीय वरित्रपंजी में प्रविष्टि के एक वर्ष बाद।

सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष बाद तक।

पद का सूजन स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष।

सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जायेगी। शेष पत्रावली स्वीकृति/अस्वीकृति के तीन वर्ष बाद तक।

रजिस्टर समाप्त होने के पांच वर्ष बाद। यदि किसी रोकी गयी वेतनबृद्धि का मामला अनिस्तारित न हो या कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।

रजिस्टर में दर्ज सापी मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष बाद।

सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष तक।

सभी दर्ज प्रत्यावेदनों/अपीलों के अंतिम निस्तारण के पांच वर्ष बाद।

- 4-7-1973 में निर्धारित)।
23. भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर  
 (1) लेजर।  
 (2) ब्राउशीट।  
 (3) इन्डेक्स  
 (4) पासबुके।
24. सेवाओं में आरक्षण  
 (1) विभिन्न संवगों के रोस्टर्स।

सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के भासले अवशेष न रह गये हों।

तदैय  
 तदैव  
 तदैव (सेवा निवृत्ति के बाद संबंधित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर वे की जाय) स्थायी रूप से।

#### ग—बजट एवं लेखा संबंधी पत्रावलियाँ/रजिस्टर

1. यात्रा भत्ता प्रकरण
- आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद।
2. टी०ए०विल तथा टी०ए० चैक रजिस्टर (वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड पांच, भाग—एक का पैरा 119).
- आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद।
3. बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्रावली
- महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व रामायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद।
4. प्रारंभिक व्यथ पंजी (कंटीजैन्ट रजिस्टर) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच, भाग एक का पैरा 173
- आडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवश्य न हो।
5. वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एकवीटेन्स रोल) (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच पांच भाग एक का पैरा 138, फार्म 11 बी)।
- पैतीस वर्ष। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा 85, परिशिष्ट 16 के अनुसार।
6. बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग एक का पैरा 139
- आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद।
7. कैश बुक।
- आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो।
8. द्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह (71)/68 डी.टी. दिनांक 7.5.1970 द्वारा निर्धारित)
- पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।
9. रेलवे रसीद रजिस्टर (आर०आर०रजिस्टर)
- पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।

10. टेलीफोन ग्रंथकाल रजिस्टर

11. मासिक व्यय पंजी/पत्रावली

12. बिल इनकैशमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह  
खण्ड पांच भाग एक का पैरा 47 ए

13. पी०एस०आर० (पेझ रैम्पड रिसीट  
रजिस्टर) राजाज्ञा संख्या  
ए-१-१५०/दस-१० (२)/६०, दिनांक २८.  
४.१९६० तथा ए-१-२८७८/दस-१५  
(५)-७८, दिनांक १०.१.७९

14. टी०ए० कन्ड्रोल रजिस्टर

15. एसीद बुक, ईशू रजिस्टर (द्रेजरी फार्म न०  
३८५ वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग  
एक पैरा २६)

16. परमानेन्ट ऐवान्स रजिस्टर (वित्तीय नियम  
संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा ६७  
(५))

17. बैल्युएबिल रजिस्टर  
(वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग  
एक का पैरा ३८)

18. बुफ्लीकेट की (Key) रजिस्टर  
वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक  
का पैरा २८, नोट (१)

19. आवासीय भवनों की किराया पंजी फार्म २७  
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग एक  
का पैरा २६५

पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा  
कोई विल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा  
में एक वर्ष।

व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा  
अन्तिम समायोजन के पश्चात दो वर्ष।

समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई  
आडिट आपत्ति निरतारण हेतु अवशेष न हो  
और न किसी धनराशि के अपहरण, चोरी,  
डकैती आदि की धटना घटी हो।

महालेखाकार के आडिट की आपत्तियों के  
निरतारण ठो जाने तो पांच वर्ष बाद।

समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि  
निर्धारित एलाइमेंट से अधिक व्यय किये  
जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के  
विद्यार्थीन न हो।

दस वर्ष, यदि किसी रसीद बुक के खो जाने  
या धन के गवन के मामले अनिरतारित न  
हों तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका  
हो।

स्थायी रूप से।

स्थायी रूप से।

स्थायी रूप से।

रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष, यदि  
कोई अवशेष किराये की तरही का प्रकरण  
या आडिट आपत्तियों का निरतारण अवशेष  
न हो।

प्रेषक,

उमाकान्त पवार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग—1

विषयः—उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के अभिलेखों का अभिलेखन एवं विनिष्ठीकरण करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या—29/सू0अ0/6-112/रिकार्डिंग रूल्स/2007 दिनांक 24-01-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवहन विभाग में अभिलेखों का अभिलेखन एवं विनिष्ठीकरण तथा परिवहन कार्यालयों के अनुभागों से सम्बन्धित अभिलेखों के निर्दान हेतु शासनादेश जारी किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रब्लेम के उपरान्त अभिलेखों के सृजन रख-रखाव और विनिष्ठीकरण कार्य का महत्व बढ़ गया है, फलस्वरूप इससे सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्णतया स्पष्ट होनी आवश्यक है। अतएव कृपया निम्नांकितानुसार अभिलेखों का अभिलेखन/निर्दान से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1) कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव, उनके निर्दान के बारे में प्रक्रिया एवं सामान्य पत्र व्यवहार, विधान सभा प्रश्न, आडिट, स्थापना/अधिष्ठान, लेखा आय-व्ययक सम्बन्धी विषयों को रखने की समयावधि की सूची प्रशासनिक सुधार विभाग के शासनादेश संख्या—244/xxxii(2)जी/2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 द्वारा जारी की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) उक्त के अतिरिक्त परिवहन विभाग में मोटरस्यानों का रजिस्ट्रीकरण कर/अतिरिक्त कर, ड्राइविंग/कन्डक्टर लाइसेंस, परिवहन यानों का नियंत्रण, मोटरस्यानों से सम्बन्धित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना, यानों की तकनीकी स्थिति आदि अनेकों अन्य कार्य सम्पादित होते हैं। जिनसे सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव एवं निर्दान के लिये उक्त प्रस्तर-2 में संदर्भित शासनादेश के क्रम में अनुभागवार अभिलेखों को रखने की समयावधि की सूची संलग्न है।

(3) परिवहन विभाग में अभिलेखों का अभिलेखन एवं निर्दान प्रति वर्ष जुलाई माह में नियमित रूप से सम्पन्न कराया जायेगा। निर्दान की गयी पत्रावलियों की सूची अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी जो संकलित सूचना शासन को भेजेंगे। निष्क्रेप पत्रावलियों को अभिलिखित करने से पूर्व की कार्यवाही, अभिलेखन की कार्यवाही, अभिलेखन के पश्चात की कार्यवाही एवं पत्रावलियों को नष्ट करने से पूर्व की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23 अप्रैल 2005 में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्दान किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में रखा जायेगा जो स्थायी अभिलेख होगा।

०१५१८

(4) उपरोक्तानुसार अभिलेखन का कार्य सुनिश्चित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये परिवहन कार्यालयों हेतु निम्नानुसार कार्यदल गठित किये जाते हैं:-

परिवहन आयुक्त कार्यालयः

- 1—सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
- 2—सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (मुख्यालय)
- 3—सहायक लेखाधिकारी

संभागीय परिवहन कार्यालय

- 1—संभागीय परिवहन अधिकारी
- 2—सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
- 3—लेखाकार

उप संभागीय परिवहन कार्यालय

- 1—सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
- 2—सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)
- 3—लेखाकार/वरिष्ठ लेखा लिपिक

संलग्नकः—यथोक्तं ।

(उमाकान्त पवार)  
सचिव ।

संख्या—35 / ix / 1 / 2009, तददिनांकित ।

प्रतिलिपि:-मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त, सेक्टर-1, सी-30, डिफेन्स कालोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या—25/उ०सू०अ०/मु०सू०अ०/2009 दिनांक 03-01-2009 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

(गरिमा रौकली)  
उप सचिव ।

वाहन विभाग के अभिलेखों का अभिलेखन (recording) एवं निर्दान (weeding) हेतु  
निर्धारित अवधि का विवरण।

अभिलेख का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय।
--------------------	------------------------------------------------

### रजिस्ट्रीकरण एवं कर/अतिरिक्त कर अनुभाग

जिन वाहनों के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य सम्भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षा हो चुकी है। उनकी पत्रावलियाँ-	आठ वर्ष पश्चात्
जिन वाहनों के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है तथा लेखा परीक्षा हो चुकी है। उनकी पत्रावलियाँ-	पांच वर्ष पश्चात्
जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है व कोई कर अथवा वाद लम्बित नहीं है। उनकी पत्रावलियाँ-	तीन वर्ष पश्चात्
जिन मामलों में व्यापार प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया हो तथा उनकी पत्रावलियाँ निरस्तीकरण की तिथि से	दो वर्ष पश्चात्
जिन मामलों में माल के संग्रह, अग्रेसण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं को अनुज्ञापन का निरस्तीकरण कर दिया गया है उनकी पत्रावलियाँ निरस्तीकरण की तिथि से	दो वर्ष पश्चात्
आरथायी रजिस्ट्रीकरण की पत्रावलियाँ- आडिट हो जाने और कोई आपत्ति लम्बित न होने पर	दो वर्ष पश्चात्
प्रतिदिन जारी वाहनों को ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी रजिस्टर आडिट हो जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात्
सरकारी वाहनों की पत्रावली- यदि वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो, कोई आपत्ति/वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात्
उन माल वाहनों की पत्रावलियाँ जिनका स्थानित्व हस्तान्तरण हो चुका है व कोई वाद अथवा कर/अतिरिक्त कर का मामला लम्बित नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है और अन्य कोई मामला लम्बित नहीं है।	एक वर्ष पश्चात्
उन माल वाहनों की पत्रावलियाँ जिनके सम्बन्ध में अन्य सम्भाग अथवा प्रान्त के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तथा कोई वाद लम्बित नहीं है और लेखा परीक्षण हो चुका है।	एक वर्ष पश्चात्

11	अन्य प्रान्त की माल वाहन जो उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है और प्रतिहस्ताक्षर की अवधि समाप्त हो चुकी है या निरस्त किया जा चुका है उनकी पत्रावलियां।	एक वर्ष पश्चात्
12	उन सार्वजनिक सेवा यानों की पत्रावलियां जिनके परमिट या तो यान स्वामियों ने स्वयं निरस्त करवा लिये हैं अथवा राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं और कोई वाद लम्बित नहीं है व कर देय नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है।	एक वर्ष पश्चात्
13	अस्थायी परमिटों का कर/अतिरिक्त कर निर्धारण तथा जमा करने से सम्बन्धित पत्रावली यदि किसी वाद में वांछित न हो और लेखा परीक्षण हो चुका हो।	दो वर्ष पश्चात्
14	सहायक रोकड़ बही—आडिट होने और कोई आपत्ति लम्बित न होने पर	पांच वर्ष पश्चात्

### लाईसेंस अनुभाग

1	शिक्षार्थी लाईसेंस की पत्रावलियां—आडिट होने तथा कोई वाद/आपत्ति लम्बित होने पर	एक वर्ष पश्चात्
2	सर्विस वेतन भोगी लाईसेंसों के प्रार्थना पत्रों, पत्रावलियां जो निस्तारित हो चुके हों।	छ: वर्ष पश्चात्
3	कडकटर लाईसेंस के प्रार्थना पत्र/पत्रावलियां (मूल एवं अन्तिम प्रार्थना पत्र नवीनीकरण छोड़कर)	छ: वर्ष पश्चात्
4	प्राइवेट कार, स्कुटर, ट्रैक्टर, एल०एम०वी० के लाईसेंसों के प्रार्थना पत्र, पत्रावलियां (प्रथम मूल एवं अन्तिम नवीनीकरण छोड़कर)	दस वर्ष पश्चात्
5	अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाईसेंसों के प्रार्थना पत्र—आडिट हो जाने के बाद	एक वर्ष पश्चात्
6	लाईसेंस की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र	दो वर्ष पश्चात्
7	लाईसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र	पांच वर्ष पश्चात्
8	पृष्ठांकन (इन्डोर्समेन्ट) हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र	छ: वर्ष पश्चात्
9	लाईसेंस से सम्बन्धी पत्राचार व इन्क्वारी यदि कोई अनियमितता न पायी जाय व कोई वाद लम्बित न हो।	पांच वर्ष पश्चात्
10	लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही की पत्रावली—यदि कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात्
11	कार्ड लाईसेंस मशीन की पत्रावली—मशीन की निलामी होने के उपरान्त आडिट हो जाने और कोई आपत्ति/वाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात्

### परमिट अनुभाग

1	विशेष अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र—यदि किसी वाद में वांछित न हो उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो व आपत्ति, यदि कोई हो, का निरस्तारण हो चुका हो।	एक वर्ष पश्चात्
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

2	अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र, जो भार वाहनों व सवारी वाहनों को जारी किये गये, यदि किसी वाद अथवा विवाद में वांछित न हों व उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो और आपत्ति, यदि कोई हो का निस्तारण हो चुका हो।	एक वर्ष पश्चात्
3	स्वीकृत किये गये परन्तु वाहन स्वामियों द्वारा उठाये नहीं गये परमिटों की पत्रावलियां यदि किसी वाद में वांछित न हो।	एक वर्ष पश्चात्
4	परमिट धारकों द्वारा निरस्त करने हेतु परमिट समर्पित किये जाने की पत्रावलियां जिन पर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है और कोई वाद लम्बित नहीं है।	पांच वर्ष पश्चात्
5	मोटरस्थानों से सम्बन्धित अपील, रिवीजन व याचिकाओं की पत्रावलियां जिनको राज्य परिवहन अपील अधिकरण अंथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया हो और उनके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही वांछित न हो।	पांच वर्ष पश्चात्
6	विशेष अस्थायी परमिटों का रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात्
7	अस्थायी परमिटों का रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात्
8	स्थायी परमिटों की पत्रावलियां जो किसी भी स्तर पर अस्थीकृत हो चुके हों और कोई भी वाद न हो।	एक वर्ष पश्चात्
9	परमिट प्रतिस्थापना रजिस्टर।	पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात्
10	अस्थायी परमिट प्रतिहरताक्षर रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात्
11	मोटर कैब, ऐवरी कैब, ठेका गाड़ी, निजी रोवायान, भंजिली गाड़ी, माल वाहन परमिट, नेशनल परमिट एवं अस्थायी परमिट से सम्बन्धित पत्रावलियां— यदि वाहन का परमिट निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो और कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात्
12	रिफन्ड पत्रावलियां— आडिट हो गया हो, कोई आपत्ति न हो, कोई वाद न हो।	दो वर्ष पश्चात्
13	विभिन्न मार्गों पर नये परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर— प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हो जाने पर।	दो वर्ष पश्चात्
14	दुर्घटनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियां— आडिट हो गया हो, कोई मामला लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात्
15	जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दो वर्ष पश्चात्
16	परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति की बैठक सम्बन्धी पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दो वर्ष पश्चात्
17	विवरण पत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियां— यदि प्रत्येक वर्ष के	दस वर्ष पश्चात्

	अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हों।	
18	स्कूल बस पत्रावलियाँ— यदि वाहन का परमिट निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो और कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात्
19	बैंक ड्राफटों की प्राप्ति का रजिस्टर— आडिट होने पर यदि कोई आपत्ति लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात्

### प्रवर्तन अनुभाग

1	अभियोग पत्र (इन्फ्रेजमेंट रिपोर्ट) न्यायालय से मुकदमा निस्तारण के बाद	तीन वर्ष पश्चात्
2	थानों में वाहने बन्द करने की सीजर बुक— बकाया वसूली के बाद	दो वर्ष पश्चात्
3	चालकों की गिरफ्तारी की किताब—	दो वर्ष पश्चात्
4	चालानों की किताब— लेखा परीक्षण व यदि कोई आपत्ति न हो।	दस वर्ष पश्चात्
5	चैकिंग मेमोरेन्डम—निस्तारण के बाद	दस वर्ष पश्चात्
6	चालानों का इंडेक्स रजिस्टर पूर्ण होने के बाद	दो वर्ष पश्चात्
7	प्रदूषण संयंत्र रख रखाव पत्रावली— संयंत्र नीलामी के पश्चात् आडिट होने के उपरान्त यदि कोई आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो।	एक वर्ष पश्चात्
8	प्रदूषण चैकिंग सम्बन्धी विवरण	दस वर्ष पश्चात्
9	प्रदूषण चैकिंग की नोटिस बुक समाप्त होने के बाद यदि कोई वाद लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात्
10	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पत्रावली।	पांच वर्ष पश्चात्
11	रिलीज आर्डर आडिट होने के बाद	एक वर्ष पश्चात्
12	प्रवर्तन कार्मिकों को जारी आदेश / निर्देश पत्रावली	पांच वर्ष पश्चात्
13	मार्ग सर्वेक्षण पत्रावली	पांच वर्ष पश्चात्
14	सामान्य पत्राचार पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग बनी हो।	पांच वर्ष पश्चात्
15.	मासिक विवरण पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग पत्रावली हो।	दस वर्ष पश्चात्

### प्राविधिक अनुभाग

1	प्रदूषण संयंत्रों के क्यं किये जाने सम्बन्धी पत्रावली— संयंत्र निस्तारण, आडिट होने कोई आपत्ति/ वाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात्
2	प्रदूषण जांच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली— मान्यता निरस्त करने, कोई विवाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात्
3	मोटर वाहन गैराजों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली— मान्यता निरस्त करने, कोई विवाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात्

टी0आर० अनुभाग

1	दुर्घटना झाहत विषय पत्रावली— आडिट होने और कोई आपत्ति/वाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात्
2	दुर्घटना के आंकड़ों से सम्बन्धित अभिलेख— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अलग—अलग रखे होने पर।	दस वर्ष पश्चात्
3	ड्राइविंग लाइसेंस व कन्डक्टर लाइसेंस तथा मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित अपील की पत्रावलियां— अपील निस्तारण के पश्चात्। यदि कोई अन्य कार्यवाही लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात्
4	कर एवं अतिरिक्त कर परिहार की अपील से सम्बन्धित पत्रावलियां। अपील निस्तारण के पश्चात् आडिट होने और कोई वाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात्

एम०आई०एस० अनुभाग

1	राजस्व प्राप्ति एवं मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण की आंकड़ों से सम्बन्धित पत्रावलियां— प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग पत्रावली होने पर।	दस वर्ष पश्चात्
2	मासिक समीक्षा सम्बन्धी पत्रावली:	पांच वर्ष पश्चात्